मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 823

23.07.2021 को उत्तर के लिए

एयर ट्रैफिक के कारण तापमान में वृद्धि

823. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणविदों के अनुसार विश्व में तेजी से बढ़ रही एयर ट्रैफिक के कारण धरती के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तापमान में यह वृद्धि खतरनाक अनुपात में बढ़ रही है और इससे विश्व की जलवायु दशा प्रभावित होने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) यूनाईटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के अनुसार वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग), विमानन सहित मानव-जनित कार्यकलापों का एक परिणाम है। तथापि, वैश्विक विमानन से उत्पन्न CO_2 उत्सर्जन, लगभग 2 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों के लिए जिम्मेदार हैं। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल सहित विभिन्न स्रोतों की रिपोर्टों नामत: '1.5 डिग्री से. के वैश्विक तापन संबंधी विशेष रिपोर्ट', 'जलवायु परिवर्तन और भूमि संबंधी विशेष रिपोर्ट' तथा 'बदलती जलवायु में महासागर और निम्न तापमंडल संबंधी विशेष रिपोर्ट' में विकसित देशों को मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों के ऐतिहासिक उत्सर्जनों से होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण पेश आ रही चुनौतियों का उल्लेख किया गया है।

जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वैश्विक रूप से समन्वित प्रयास अपेक्षित हैं तथा इसका निराकरण 'साम्या' और 'साझा किंतु भिन्न दायित्व और संबद्ध क्षमताओं' के सिद्धांतों पर आधारित यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस करार के माध्यम से बहुपक्षीय रूप से किया जाता है। पेरिस करार का लक्ष्य इस बात को समझते हुए कि इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और प्रभावों में पर्याप्त ढंग से कमी आएगी वैश्विक औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से अधिक 2 डिग्री से. नीचे रोके रखना है और तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से अधिक 1.5 डिग्री से. तक सीमित करने के

प्रयास जारी रखना है। सभी देश पेरिस करार के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अपने-अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) के माध्यम से जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को कार्यान्वित कर रहे हैं। भारत, यूएनएफसीसीसी, इसके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस करार का एक पक्षकार है और इसने वर्ष 2021-2030 के लिए आठ लक्ष्यों को उजागर करते हुए अपने एनडीसी प्रस्तुत किए हैं जिनमें (i) अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक की कमी करना, (ii) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और निम्न-लागत के अंतरराष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना और (iii) अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना शामिल है।

इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है जिसमें सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारि-प्रणाली, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से जलवायु संबंधी कार्रवाइयों हेतु एक समावेशी कार्यढांचे की व्यवस्था की गई है।

****